झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ

अध्याय–2
अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन

3. अधिवक्ता कल्याण निधि

अध्याय–3
न्यासी समिति का स्थापना

4. न्यासी समिति का स्थापना
5. न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य का अयोग्यता और निष्कासन
6. न्यासी समिति के नाम निदेशित अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
7. रिक्तियों, आदि से न्यासी समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना –
8. निधि का निहित होना तथा उसका उपयोजना –
9. न्यासी समिति के कृत्यों –
10. उधार और विनिधान / निवेश –
11. लेखा और लेखा परीक्षा –
12. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य
13. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निधि में कुछ धन का भुगतान –

अध्याय–4
अधिवक्ताओं के किसी संघ का मान्यता

14. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ताओं के किसी संघ का मान्यता –

15. राज्य के विधिज्ञ संघों (वार एसोसिएशन्स) और अधिवक्ता संघों (एडवोकेट्स एसोसिएशन्स) के कर्तव्य –

अध्याय – 5
अधिवक्ता कल्याण निधि की सदस्यता एवं उससे भुगतान

16. निधि की सदस्यता –

17. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान –

18. समीक्षा –

19. वकालत बन्द करने पर राशि का भुगतान –

20. निधि में सदस्य के हित का अन्य संक्रमण (एलिअनेशन), कुर्की आदि पर रोक –

21. निधि के सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा तथा अन्य लाभ –

22. न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) के आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपील –

अध्याय – 6
स्टाम्प का मुद्रण, वितरण और रद्दीकरण

23. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की उपलब्धता एवं अधिवक्ता कलयाण निधि स्टाम्प का वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रण या फ्रैंकिंग मशीन स्थापित किया जाएगा।

24. वकालतनामा तथा शपथ–पत्रों पर स्टाम्प लगा रहना –

अध्याय – 7
प्रकीर्ण

25. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण –

26. सिविल न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे प्रश्न का निपटारा, विनिश्चय या उस पर कार्रवाई करने अथवा ऐसी किसी बात का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका निपटारा या विनिश्चय या जिस पर कार्रवाई या जिसका अवधारण किया जाना इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) या राज्य विधिज्ञ परिषद् या प्रषसनिक विभाग द्वारा अपेक्षित है ।

27. साक्षियों को सम्मन करने और उनका साक्ष्य लेने की शक्ति –

28. अनुसूचियों को संषोधित करने की शक्ति –

29. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति –

30. न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) का अधिक्रमण करने की राज्य सरकार की शक्ति

31. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति –

32. नियमों और अधिसूचनाओं का राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना –

33. व्यावृत्ति

34. अनुसूची–1

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के अधिवक्ताओं के मृत्यु, स्थायी निःशक्तता, सेवानिवृति, बीमारी आदि में उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए कल्याण निधि के गठन और इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु एक विधेयक ।

झारखण्ड के राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

1. यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।~~है~~।

3. यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा ।

4. यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो नौकरी या व्यवसाय से सेवानिवृत हुए हैं तथा न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) या अपने नियोक्ता से सेवानिवृति लाभ पा रहे हैं या उसके हकदार हैं ।

2. परिभाषाएँ–

1. इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है, वह अधिवक्ता जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 17 के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा तैयार और अनुरक्षित राज्य नामावली में प्रविष्ट हो तथा वह जो राज्य के बार एसोसिएशन अथवा विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) का सदस्य हों ;

(ख) "अधिवक्ता संघ (एडवोकेट एसोसिएशन)" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् की धारा 14 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवक्ताओं का संघ ;

(ग) "बार एसोसिएशन" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में अधिवक्ताओं का वह संघ, जो झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् की धारा 14 द्वारा मान्यता प्राप्त हो ;

(घ) "विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल)" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 3 के अधीन गठित झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद;

(ङ) "वकालत की समाप्ति" से आशय है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 26 'अ'/26A के अधीन तैयार राज्य नामावली में से अधिवक्ता का नाम हटाया जाना ;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, धारा–4 की उपधारा (4) के खंड (अ) में वर्णित न्यासी समिति के अध्यक्ष ;

(छ) "चार्टड एकांउटेड" से अभिप्रेत है, चार्टड एकांउटेड अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 38) की धरा–2 की उपधारा–(1) के खंड (ख) यथा परिभाषित चार्टड एकांउटेड तथा जो उसी अधिनियम की धारा – 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने (प्रैक्टिस) का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति;

(ज) "न्यायालय" के अन्तर्गत कोई भी न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकारी जिसके समक्ष एक अधिवक्ता किसी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन या द्वारा, वकालत करने के हकदार हो, शामिल हैं ;

(झ) "आश्रित" से अभिप्रेत है, निधि के सदस्य का पत्नी, माता–पिता अथवा अवैध संतान समेत अवयस्क बच्चे ।

(ञ) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा – 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि ;

(ट) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा – 2 की खंड – 9 में है ;

(ठ) "निधि का सदस्य" से अभिप्रेत है, निधि की प्रसुविध प्राप्त करने को अनुमत तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उसका सदस्य बना रहने वाला अधिवक्ता;

(ड) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना;

(ढ़) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(ण) "सेवानिवृति" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता के रुप में विधि व्यवसाय / वकालत बंद किया जाना जिसकी सूचना विधिज्ञ परिषद् को दे दी गई हो और जिसे परिषद् ने दर्ज कर लिया हो ;

(त) "अधिसूची" से तात्पर्य है, इस अधिनियम की अधिसूची ;

(थ) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा – 2 के खंड (ई0) में है ;

(द) "स्टाम्प" से अभिप्रेत है, धारा 24 के अधीन मुद्रित तथा वितरित अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प ;

(ध) "वकालत का निलंबन" से आषय है, अधिवक्ता के रुप में विधि व्यवसाय का स्वैच्छिक निलंबन अथवा दुराचरण के कारण झारखण्ड विधिज्ञ परिषद् द्वारा निलम्बन ;

(न) "न्यासी समिति" से अभिप्रेत है, धारा – 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति ;

(प) "वकालतनामा" के अन्तर्गत हाजिरी ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज जिसके द्वारा एक अधिवक्ता को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने या वकालत करने की शक्ति प्रदान की जाती है ;

2. उन शब्दों और पदो के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उस अधिनियम में है ।

अध्याय – 2

अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन

3. अधिवक्ता कल्याण निधि –

(1) राज्य सरकार एक निधि गठित करेगी जिसे अधिवक्ता कल्याण निधि कहा जाएगा ।

(2) निधि में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएगी –

(क) राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा धारा 13 के अधीन दी गई सभी रकम ;

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया गया कोई अन्य अंशदान ;

(ग) 'भारतीय विधिज्ञ परिषद' राज्य के किसी विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) या अधिवक्ता संघ (एडवोकेट एसोसिएशन) या अन्य संघ या संस्था, या किसी अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया स्वैच्छिक दान या अंषदान ;

(घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निधि में दिया गया कोई अनुदान ;

(ङ) धारा 10 के अधीन उधार ली गई कोई राशि ;

(च) धारा 16 के अधीन एकत्रित सभी राशि, निधि;

(छ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन निधि के किसी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त सभी राशि ;

(ज) निधि के सदस्यों की सामूहिक बीमा पॉलिसी के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश या वापसी ;

(झ) निधि के किसी भाग के विनिधान पर प्राप्त कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम ;

(ञ) धारा 24 के अधीन स्टाम्प की बिक्री से एकत्रित सभी राशि ;

(ट) धारा 16 के अधीन आवेदन शुल्क, वार्षिक अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज के रुप में एकत्रित राशि ;

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि ऐसी एजेंसियों को ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति से दी जायेगी या एकत्रित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाए ।

(4) झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि का प्रशासी विभाग राज्य सरकार का विधि विभाग होगा, जिसे समय–समय पर अनुदेश देने की शक्तियाँ होगी ।

अध्याय – 3

न्यासी समिति का स्थापना

4. न्यासी समिति का स्थापना

1. सरकारी गजट में अधिसूचना निकालकर, ऐसी तारीख से, जो उसमें विहित करें, राज्य सरकार एक न्यासी समिति की स्थापना करेगी जो अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमिटि) कहलाएगी ।

2. न्यासी समिति एक नियमित निकाय होगी जिसे शाष्वत उतराधिकार तथा जिसकी सामान्य मुहर होगी, जिसे संपति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

3. न्यास समिति का मुख्यालय रॉची में होगा या किसी अन्य स्थानों पर जैसा कि अधिसूचित होगी ।

4. न्यासी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य के महाधिवक्ता अध्यक्ष होंगे, पदेन;

(ख) राज्य सरकार के विधि विभाग या मंत्रालय के सचिव होंगे, सदस्य, पदेन;

(ग) राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष होंगे, पदेन सदस्य ;

(घ) झारखण्ड सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य ;

(ङ) राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नाम निर्देशित विधिज्ञ परिषद् के दो सदस्य ;

5. उपधारा (4) के खंड (घ) या (ङ) के अधीन नाम निर्देशित न्यासी समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से, पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

परन्तु खंड (ङ) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य पॉच वर्ष से अधिक की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उतराधिकारी, उचित तरीके से गठित अगले राज्य विधिज्ञ परिषद् का नाम निर्देशित नहीं हो जाता ।

5. न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य का अयोग्यता और निष्कासन –

1. राज्य सरकार न्यासी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा देगी, यदि –

(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय न्यायनिर्णीत किया जाता है ;

(ख) वह न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रुप से अक्षम हो गया हो ;

(ग) वह किसी ऐसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हैं ;

(घ) वह ऐसी वितीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पङने की संभावना है ;

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक है ;

(च) वह न्यासी समिति को लगातार तीन से अधिक बैठको में न्यासी समिति से बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित हैं या रहें हो ।

परन्तु न्यासी समिति, पर्याप्त आधार पर ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की अनुपस्थिति नजरअंदाज कर सकता है ।

2. न्यासी समिति का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

6. न्यासी समिति के नाम निदेशित अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना –

(1) धारा 4 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या उसी धारा की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन नाम निदेशित सदस्य, राज्य सरकार की तीन महीने की लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है तथा उस त्याग–पत्र का राज्य सरकार स्वीकृत होने पर वह अध्यक्ष या सदस्य अपना पद खाली कर देगा ।

(2) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य, राज्य विधिज्ञ परिषद् को तीन महींने की लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं तथा उस त्याग–पत्र का राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा स्वीकृत होने पर, वह सदस्य अपना पद खाली कर देगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य जिन्होंने त्याग–पत्र दे दिया है, के पद की आकस्मिकक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा छह माह के अन्दर भरी जा सकेगी तथा इस प्रकार नाम निदेशित अध्यक्ष या सदस्य तब तक ही पद धारण करेंगे, जब तक वह अध्यक्ष या सदस्य, जिनके पद पर वे नाम निदेशित हुए हैं, पद पर बने रहने के हकदार होते, यदि यह रिक्ति नहीं होती ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य, जिन्होंने त्याग–पत्र दे दिया है, के पद की आकस्मिक रिक्ति राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा छह माह के अन्दर भरी जा सकेगी तथा इस प्रकार नाम निदेशित सदस्य तब तक ही यह पद धारण कर सकेंगे, जब तक वह सदस्य, जिनके पद पर वे नाम निदेशित हुए हैं, पद पर बने रहने के हकदार होते, यदि यह रिक्ति नहीं होती ।

7. रिक्तियों, आदि से न्यासी समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना –

न्यासी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि –

(क) न्यासी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि हैं; या

(ख) न्यासी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम निदेशन में कोई त्रुटि हैं; या

(ग) न्यासी समिति की प्रकिया में ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

8. निधि का निहित होना तथा उसका उपयोजना –

निधि, इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन और इसके प्रयोजनार्थ, न्यास समिति में निहित होगी और वही उसे धारित और उपयोजित करेगी ।

9. न्यासी समिति के कृत्यों –

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा तत्सम प्रवृत किसी अन्य विधि के अध्यधीन, न्यासी समिति, निधि का प्रशासन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी समिति

(क) न्यास निधि की राशियों और अस्तियों को धारण करेगी ;

(ख) निधि के सदस्य के रुप में प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी तथा ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर उनका निपटारा करेगी ;

(ग) निधि से भुगतान के लिए निधि के सदस्यों, उनके नाम निदेशितियों या कानूनी उतराधिकारियों, जैसा मामला हो, से आवेदन प्राप्त करेगी, ऐसे आवेदनों के निपटारे के लिए यथावश्यक जांच करायेगी और आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उनका निपटारा करेगी ;

(घ) न्यासी समिति की कार्यवृत बही में आवेदन पर लिए गए निर्णय अभिलिखित करेगी;

(ङ) निधि में राशि की उपलब्धता के अध्यधीन, निधि के सदस्यों या उनके नाम निदेशितियों या कानूनी उतराधिकारियों, जैसा मामला हो, को अनुसूची – अ/A में विनिर्दिष्ट दर से राशियों का भुगतान करेगी ;

(च) राज्य सरकार तथा राज्य विधिज्ञ परिषद् को यथाविहित आवधिक और वार्षिक प्रतिवेदन भेजेगी ।

(छ) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए दिए गए आवेदनों या निधि से फायदा प्राप्त करने संबंधी दावों के संबंध में, न्यासी समिति के निर्णयों की सूचना आवेदकों को पावती सहित निबंधित डाक या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजेगी ;

(ज) ऐसे अन्य कार्य करेगी जिनका किया जाना इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित हो या अपेक्षित हो सकता है ।

पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर राजय बिधिज्ञ परिषद् के अनुमोदन के बाद,

(झ) सदस्यों के व्यापक हितों में ऐसे सभी कल्याण कार्ययोजना (स्कीम) बनाएगी और लागू करेगी या अपने अनुसूची – 1 में संशोधन करेगी, जो यह उचित समझे तथा प्रत्येक पॉच वर्ष में कम–से–कम एक बार 'अपेक्षित वृद्धि' के लिए अपने सभी कल्याण कार्ययोजनाओं (स्कीम) की समीक्षा करेगी ।

10. उधार और विनिधान / निवेश –

(1) न्यासी समिति, राज्य सरकार तथा राज्य विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर कोई भी राशि उधार ले सकेगी ।

(2) न्यासी समिति, निधि के भाग के रुप में सभी धन और प्राप्तियॉ किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी अथवा उसे राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या निमंत्रित कोई निगम को दिये जानेवाले ऋण प्रपत्रों में निवेश करेगी अथवा राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों या किसी अन्य रीति से जैसा कि राज्य विधिज्ञ परिषद्, समय समय पर, राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से, निदेशित करें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन शोध्य और भुगतेय सभी राशियों का तथा निधि के प्रबंध और प्रशासन संबंधी सभी खर्च का भुगतान निधि से किया जाएगा ।

11. लेखा और लेखा परीक्षा –

(1) न्यासी समिति, उचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन ऐसे प्रारुप तथा ऐसी रीति से तैयार करेगा जो, विहित हो ।

(2) न्यासी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टड अकाउंटेट द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाएगी ।

(3) चार्टड अकांउटेंट द्वारा संपरीक्षित न्यासी समिति के लेखों, तद्विषयक संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य विधिज्ञ परिषद् को उस समिति द्वारा भेजे जाएंगे और राज्य विधिज्ञ परिषद्, न्यास समिति को इस संबंध में, जैसा वह उचित समझें, ऐसे निदेश जारी करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न्यासी समिति द्वारा किया जाएगा ।

(5) ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत शुल्क न्यासी समिति द्वारा निधि से दिया जाएगा जैसा कि राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित हो ।

12. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

न्यासी समिति के सचिव –

(क) न्यासी समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा और उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार होगा ;

(ख) न्यासी समिति के निमित और उसके विरुद्ध सभी वादों और कार्यवाहियों मे न्यासी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ग) न्यासी समिति के सभी निर्णयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा ;

(घ) अध्यक्ष के साथ संयुक्त रुप से न्यासी समिति का बैंक लेखा परिचालित करेगा ;

(ङ) न्यासी समिति का बैठक आयोजित करेगा और उसका कार्यवृत तैयार करेगा ;

(च) सभी आवश्यक अभिलेखों एवं सूचना के साथ न्यासी समिति की बैठकों में भाग लेगा ;

(छ) समय–समय पर यथाविहित प्रपत्र, रजिस्टर और अन्य अभिलेख रखेगा तथा न्यासी समिति से संबंधित सभी पत्राचार करेगा ;

(ज) प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान न्यासी समिति द्वारा सम्पादित कार्य का वार्षिक विवरण तैयार करेगा;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जैसा कि न्यासी समिति या उसके अध्यक्ष तथा राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निदेशित किया जाए ।

13. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निधि में कुछ धन का भुगतान –

राज्य विधिज्ञ परिषद्, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 24 के खंड (च) के अधीन इसको प्राप्त नामांकन शुल्क के 20 प्रतिशत (के बराबर) की राशि प्रत्येक वर्ष निधि में जमा कर देगी ।

अध्याय – 4
अधिवक्ताओं के किसी संघ का मान्यता

14. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ताओं के किसी संघ का मान्यता –

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व, अधिवक्ताओं का कोई संघ, जो किसी भी नाम से, एक संघ के रुप में पंजीकृत है, राज्य विधिज्ञ परिषद् से, ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित हो, मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि के बाद या तिथि को, अधिवक्ताओं का कोई संघ, जो किसी भी नाम से, एक संघ के रुप में पंजीकृत है, एक संघ के रुप में पंजीकरण की तिथि से तीन माह के भीतर, राज्य विधिज्ञ परिषद् को यथाविहित प्रपत्र में, मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) अथवा धारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के प्रत्येक आवेदन के साथ –

(क) संघ के नियमों अथवा उप–विधियों की प्रति होगी ।

(ख) संघ के पदाधिकारियों का नाम तथा पता होगा ।

(ग) संघ के सदस्यों की सूची जिसमें नाम, पता, उम्र, राज्य विधिज्ञ परिषद् में नामांकन संख्या तथा नामांकन की तिथि का उल्लेख और प्रत्येक सदस्य के वकालत करने का सामान्य स्थान दिया रहेगा ।

(4) राज्य विधिज्ञ परिषद्, ऐसे जॉच–पडताल, जैसा यह उचित समझे, के बाद संघ को मान्यता प्रदान करेगी तथा यथा–विहित प्रपत्र में मान्यता प्रमाण–पत्र निर्गत कर सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी संघ के मान्यता से संबंधित किसी मामले पर राज्य विधिज्ञ परिषद् का निर्णय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, पंजीकृत से अभिप्रेत है, राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त / संबद्धता ।

15. राज्य के विधिज्ञ संघों (बार एसोसिएशन्स) और अधिवक्ता संघों (एडवोकेट्स एसोसिएशन्स) के कर्तव्य –

(1) राज्य के प्रत्येक विधिज्ञ संघ और अधिवक्ता संघ प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल अथवा उससे पूर्व, राज्य विधिज्ञ परिषद् को उस वर्ष 31 मार्च तक यथाविधमान अपने सदस्यों की सूची उपलब्ध करायेगा ।

(2) राज्य के प्रत्येक विधिज्ञ संघ तथा अधिवक्ता संघ, राज्य विधिज्ञ परिषद् को निम्न के बारे में सूचित करेगा –

(क) सदस्यता में कोई परिवर्तन, जिसमें प्रवेष एवं पुर्नप्रवेष भी शामिल है, एसे परिवर्तन 30 दिनों के भीतर ;

(ख) किसी सदस्य के मृत्यु, वकालत की समाप्ति, अथवा वकालत की स्वैच्छिक निलम्बन, ऐसी घटना के 30 दिनों के भीतर ;

(ग) ऐसे अन्य मामले, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो ;

अध्याय – 5

अधिवक्ता कल्याण निधि की सदस्यता एवं उससे भुगतान

16. निधि की सदस्यता –

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत करने वाला प्रत्येक अधिवक्ता, राज्य में विधिज्ञ संघ अथवा अधिवक्ता संघ के सदस्य होने के नाते, न्यासी समिति में, निधि के सदस्य के रुप में स्वीकृति के लिए, ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित हो, में आवेदन कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति –

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, राज्य विधिज्ञ परिषद् के नामावली में एक अधिवक्ता के रुप में स्वीकृत हो ;

(ख) राज्य में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत करने तथा राज्य के विधिज्ञ संघ अथवा अधिवक्ता सघ के सदस्य होने के नाते, न्यासी समिति में, निधि के सदस्य के रुप में स्वीकृति के लिए यथाविहित प्रपत्र में आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, न्यासी समिति यथावष्यक जॉच–पडताल करेगी तथा या तो आवेदक को निधि में सम्मिलित कर लेगी या ऐसे कारणों से आवेदन रद्द कर देगी, जो अभिलिखित किये जायेंगे ।

(4) प्रत्येक आवेदक, आवेदन–पत्र के साथ पांच सौ रुपये का आवेदन शुल्क न्यासी समिति के खाता में जमा करेगा और उसके बाद अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए प्रति वर्ष 200 रुपये अदा करेगा ।

(5) प्रत्येक अधिवक्ता, निधि के सदस्य होने के नाते, दो हजार पॉच सौ रुपये का आजीवन चंदा (सब्स्क्रिपषन) दे सकता है ।

(6) निधि के वे सदस्य, जो उस वर्ष के 31 मार्च तक वार्षिक चंदा नहीं दे पाते हैं, उनकी निधि से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

(7) उपधारा 6 के अधीन निधि के वे सदस्य जिसकी सदस्यता निधि से समाप्त कर दी गयी है, उन्हें सदस्यता समाप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर एक सौ रुपये नामांकन शुल्क सहित बकाया भुगतान करने पर पुनः निधि में शामिल कर लिया जाएगा ।

(8) निधि के प्रत्येक सदस्य, निधि की सदस्यता प्राप्ति के समय अपनी उस रकम को प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए एक या एक से अधिक आश्रितों का नाम निदेषित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सदस्य को देय कोई राषि, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निधि से देय हो सकेगी ।

(9) यदि कोई सदस्य उपधारा 8 के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निदेषित करे, तो वह नाम निदेषन में, प्रत्येक नाम निदेषित व्यक्ति को देय राषि या शेयर का उल्लेख करेगा ।

(10) निधि का कोई सदस्य, किसी भी समय, न्यासी समिति को लिखित सूचना भेजकर नाम निर्देषन रद्द कर सकेगा ।

(11) निधि का प्रत्येक सदस्य, जो उपधारा 10 के अधीन अपना नाम निदेषन रद्द करता है, वह एक सौ रुपये निबंधन शुल्क के साथ नया नाम निदेषन कर सकेगा ।

(12) निधि का प्रत्येक सदस्य जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 26'ए' के अधीन राज्य नामावली से हटा दिया गया है अथवा वह अपनी इच्छा से वकालत निलंबित कर दे, ऐसे निलम्बन अथवा निष्कासन के पन्द्रह दिनों के भीतर, इस आषय की सूचना न्यासी समिति को देगा और यदि कोई सदस्य बिना किसी उपयुक्त कारण के, ऐसा करने में चूक करे तो न्यासी समिति, यथाविहित सिद्धान्तों के अनुरुप, इस अधिनियम के अधीन उस को देय राशि घटा सकेगा ।

(13) प्रत्येक आवेदक जो निधि का सदस्य बनने को इच्छुक हैं, वह दो हजार पॉच सौ रुपये एकमुश्त चंदा, आजीवन सदस्यता शुल्क अथवा धारा 16(4) के अधीन वार्षिक फीस के रुप में अदा करेगा ।

17. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान –

निधि का सदस्य द्वारा इसे किये गए आवेदन पर न्यासी समिति, दावा की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद, ऐसे सदस्य, जिसमें वृहत् शल्यकिया संबंधी ऑपरेशन, शामिल है या क्षयरोग, कोढ़, लकवा, कैंसर या ऐसे अन्य बीमारी या असमर्थता से ग्रस्त हैं, को निधि से अनुग्रह अनुदान दी जा सकेगी ।

परन्तु ऐसे भुगतान पचास हजार रुपये से अधिक नही होगी तथा यह निधि में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

18. समीक्षा

न्यासी समिति, अपने प्रस्ताव पर अथवा किसी व्यक्ति जो हितबद्ध हो, से प्राप्त आवेदन पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 90 दिनों के भीतर अपने द्वारा पारित किसी आदेश की समीक्षा कर सकता है, यदि यह भूल जो कि चाहे तथ्यों की हो अथवा विधि की अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य के अनभिज्ञता में, पारित की गई हो ।

वशर्ते न्यासी समिति इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करे, तब तक नहीं पारित करेगा, जब तक कि उसे उस मामलें में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

19. वकालत बन्द करने पर राशि का भुगतान –

(1) प्रत्येक अधिवक्ता को, जो निधि का सदस्य रहा हो, वकालत / व्यवसाय बन्द करने पर, अनुसूची – 1 में विनिर्दिष्ट दर से राशि भुगतान की जाएगी ।

वशर्ते जब न्यासी समिति को यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थायी निःशक्तता के वजह से, सदस्य के ऐसे निधि में स्वीकृति की तिथि से पॉच वर्षो के भीतर वह वकालत करना छोड देता है, न्यासी समिति, ऐसे सदस्य को अनुसूची–1 में उल्लेखित दर से राशि भुगतान कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निधि से भुगतान के प्रयोजनार्थ वकालत के पूरे वर्ष की गणना के लिए निधि के सदस्य बनने के पूर्व, यदि कोई हो, प्रत्येक चार वर्षो की वकालत का एक वर्ष गिना जाएगा और उसमें सदस्य बनने के बाद वकालत का प्रत्येक वर्ष जोडा जाएगा ।

(3) जब निधि का कोई सदस्य की मृत्यु, उपधारा (1) के अधीन देय राशि प्राप्त करने के पहले हो जाती है, तो उसके नाम – निर्देशित अथवा विधिक उतराधिकारी, जैसा मामला हो, को निधि के मृत सदस्य की देय राशि भुगतान की जाएगी ।

20. निधि में सदस्य के हित का अन्य संक्रमण (एलिअनेशन), कुर्की आदि पर रोक –

(1) निधि में किसी सदस्य का हित, या निधि से कोई राशि प्राप्त करने का किसी सदस्य या उसके नाम निदेशित या विधिक उतराधिकारी का अधिकार, नियतन, अन्य संक्रामण, या भारित नहीं होगा और ना ही किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की की जा सकेगी ।

(2) कोई भी ऋणदाता को निधि या निधि के किसी सदस्य अथवा उसके नाम निदेशित अथवा विधिक उतराधिकारी के हित के विरुद्ध, कार्यवाही चलाने का हक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋणदाता के अन्तर्गत राज्य या दिवालियापन से संबंधित तत्समय प्रवृत विधि के अधीन नियुक्त सरकारी आदाता (रिसिवर) अथवा सरकारी समनुदेशिती शामिल है ।

21. निधि के सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा तथा अन्य लाभ –

न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि), निधि के सदस्यो के कल्याण के लिए कर सकेगी –

(क) निधि के सदस्यों के लिए भारतीय जीवन बीमा या किसी अन्य बीमाकर्ता से सामूहिक बीमा पॉलिसी प्राप्त करना ;

(ख) निधि के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा एवं शैक्षिक सुविधाएँ, यथाविहित रीति से, प्रदान करना; अथवा

(ग) पुस्तके खरीदने के लिए निधि के सदस्यों को धन उपबंधित करना; अथवा

(घ) निधि के सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ बाने एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु धन उपबंधित करना ;

बशर्ते न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन प्राप्त कुल वार्षिक चंदा का दस प्रतिशत अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत कर रहे निधि के सदस्य के लिए सामान्य सुविधाएँ बनाने अथवा उसके अनुरक्षण पर खर्च करेगी; अथवा

(ङ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) उल्लेख करे, निधि उपबंधित करना, अथवा

(च) ऐसे अन्य लाभ के लिए, यथाविहित, उपबंध करना ।

22. न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) के आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपील –

(1) न्यासी समिति के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील राज्य विधिज्ञ परिषद् में की जाएगी ।

(2) अपील यथा विहित प्रपत्र में की जाएगी तथा जिसमें संलग्न होंगे –

(क) जिस आदेष या निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति ;

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् के खाते के साख (क्रेडिट) में की गई एक सौ रुपये भुगतान दिखाने वाले साक्ष्य का रसीद ।

(3) निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल किया जाएगा ।

(4) ऐसे अपील पर राज्य विधिज्ञ परिषद् का निर्णय अंतिम होगा ।

अध्याय – 6

स्टाम्प का मुद्रण, वितरण और रद्दीकरण

23. राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की उपलब्धता एवं अधिवक्ता कलयाण निधि स्टाम्प का वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रण या फ्रैंकिंग मशीन स्थापित किया जाएगा ।

(1) राज्य सरकार, राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस आशय का आवेदन करने पर, यथाविहित, पन्द्रह रुपये या ऐसे अन्य मूल्य के अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प मुद्रित और वितरित करवाएगा, जिसमें विधिज्ञ परिषद् का प्रतीक तथा उस पर उसका मूल्य अंकित रहेग।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्टाम्प 1" X 2" आकार का होगा ।

(3) स्टाम्प राज्य सरकार के अभिरक्षा में रखे जाएंगे ।

(4) राज्य सरकार स्टाम्पों के वितरण तथा विक्री का नियंत्रण ऐसे स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा करेगी जो न्यायालय फीस स्टाम्प की विक्री के लिए नियुक्त किए गए हैं ।

(5) राज्य सरकार ऐसे प्रपत्र में तथा यथाविहित रीति से स्टाम्पों का उपयुक्त लेखा रखेगा और प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में कमीशन तथा इन स्टाम्पों के मुद्रण में राज्य सरकार द्वारा उपगत खर्च काट लेने के बाद ऐसे स्टाम्प की विक्री–आगम को निधि में अंतरित कर देगी जिसमें गत वितीय वर्ष के दौरान मुद्रित तथा बेचे गए कल्याण स्टाम्पों की संख्या एवं भुगतान किए गए कमीषन एवं निधि में जमा की गई राषि का विस्तृत विवरण दर्शाए हुए हों, जिसे न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) के समक्ष रखा जाएगा ।

(6) कल्याण स्टाम्प के मुद्रण की प्रणाली दो वर्षो की अवधि पर धीरे–धीरे फ्रैंकिंग मशीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी ।

24. वकालतनामा तथा शपथ–पत्रों पर स्टाम्प लगा रहना –

(1) प्रत्येक अधिवक्ता हर वकालतनामा तथा शपथ–पत्रों पर पन्द्रह रुपये मूल्य का उपरोक्त विनिर्दिष्ट कल्याण स्टाम्प (अथवा फ्रैंकिंग मशीन द्वारा) चिपकाएगा ।

स्पष्टीकरण – शपथ–पत्रों से अभिप्रेत है कि कोई तथा प्रत्येक शपथ पत्र जिसमें लेख्य प्रमाणक द्वारा बनाए गए शपथ–पत्र या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय में दाखिल करने हेतु शपथ–पत्र शामिल है ।

(2) स्टाम्प का मूल्य ना ही किसी वाद का खर्च होगा और ना ही यह किसी भी स्थिति में मुवक्किल से एकत्रित किया जाएगा ।

(3) किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन करने पर उसे निधि के प्रसुविधाओं से पूर्ण रुप से या अंशतः वेदखल कर दिया जाएगा और न्यासी समिति ऐसे उल्लंघन को राज्य विधिज्ञ परिषद् को समुचित कार्रवाई हेतु रिपोर्ट करेगा ।

(4) हर वकालतनामा पर चिपकाए गए प्रत्येक स्टाम्प जो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है, यथाविहित रीति से रद्द किया जाएगा ।

(5) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी–द्वारा प्राप्त या उक्त के समक्ष दाखिल वकालतनामा अथवा शपथ–पत्र तब तक वैद्य नहीं होगा जबतक कि इसमें उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित कल्याण स्टाम्प न हो ।

अध्याय – 7

प्रकीर्ण

25. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण –

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा न्यासी समिति के सचिव अथवा राज्य विधिज्ञ परिषद् अथवा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के विरुद्ध नहीं लाया जा सकेगा ।

26. सिविल न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे प्रश्न का निपटारा, विनिश्चय या उस पर कार्रवाई करने अथवा ऐसी किसी बात का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका निपटारा या विनिश्चय या जिस पर कार्रवाई या जिसका अवधारण किया जाना इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) या राज्य विधिज्ञ परिषद् या प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित है ।

27. साक्षियों को सम्मन करने और उनका साक्ष्य लेने की शक्ति –

न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) और राज्य विधिज्ञ परिषद् को, इस अधिनियम के अधीन जॉच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के बाबत वही शक्तियॉ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल व्यवहार न्यायालय में विहित होती है, अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बाध्य करना या शपथ पर उसकी परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेष किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

28. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति –

न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि), विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना निकालकर तथा निधि में राशि की उपलब्धता का उचित ध्यान रखते हुए, अनुसूची–1 में विनिदृष्ट दरों में संशोधन कर सकते हैं अथवा धारा (9)(2)(i) के अधीन तैयार कोई अन्य कल्याण स्कीम्स को अधिसूचित कर सकता है ।

29. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति –

(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि), इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निष्पादन में, पेशेवर और प्रशासनिक मामलों से संबंधित उन बातों से भिन्न, इसे नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो राज्य सरकार समय–समय पर इसे लिखित रुप में दे ।

परन्तु जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व न्यासी समिति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

30. न्यासी समिति (ट्रस्टी कमिटि) का अधिक्रमण करने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि –

(क) नियंत्रण से बाहर हुए परिस्थितियों के कारण, न्यासी समिति इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) न्यासी समिति के इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उपबंधो द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार–बार व्यतिक्रम किया है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, न्यासी समिति का, छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रमण कर सकेगी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को न्यासी समिति का नियंत्रक नियुक्त करें ।

परन्तु ऐसे किसी अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार, न्यासी समिति को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध प्रतिनिधित्व (आवेदन) देने का और न्यासी समिति के प्रतिनिधित्व (आवेदन), यदि कोई हो, पर विचार करने, का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यासी समिति का अधिक्रमण करने वाली किसी सूचना के प्रकाशन पर –

(क) न्यासी समिति के अध्यक्ष, सभी सदस्य ओर सचिव, अधिक्रमण की तारीख से उस रुप में अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रयोग या निर्वहन न्यासी समिति द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, जब तक उपधारा (3) के अधीन न्यासी समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, तब तक न्यासी समिति के नियंत्रक द्वारा प्रयोग तथा निर्वहन किया जाएगा ।

(ग) न्यासी समिति के स्वामित्व या नियंत्रक के अधीन सभी संपति और निधि, जब तक उपधारा (3) के अधीन न्यासी समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, राज्य सरकार में निहित होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ती पर राज्य सरकार ऐसे समिति के (अपने) अध्यक्ष, सभी सदस्यों और सचिव की नई नियुक्ति द्वारा न्यासी समिति का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे ।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना तथा इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

31. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति –

(1) इस शक्ति के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के उ पबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, जो केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के असंगत नहीं हो, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात –

(क) धारा 12 की खंड (ज) के अधीन नियतकालिक और वार्षिक रिपोर्ट भेजा जाएगा;

(ख) वह प्ररुप जिसमें और वह रीति, जिससे लेखा का वार्षिक विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के खंड (ज) के अधीन तैयार किया जाएगा ।

(ग) प्ररुप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख जिसे धारा 12 के खंड (छ) के अधीन अनुरक्षित किया जाएगा ।

(घ) वह प्ररुप जिसमें धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा ।

(ङ) वह प्ररुप जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (1) के अधीन एक अधिवक्ता निधि के सदस्य के रुप में नामांकन के लिए आवेदन देंगें ।

(च) वह सिद्धान्त जिसके अनुरुप धारा 16 की उपधारा (12) के अधीन निधि के सदस्य को देय राषि घटा दी जाएगी ।

(छ) वह रीति जिससे धारा 22 की खंड (ख) के अधीन निधि के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएँ का उपबंध किया जाएगा ।

(ज) धारा 22 की खंड (च) के अधीन उपबंधित अन्य प्रसुविधाएँ ।

(झ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररुप ।

(ञ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन मुद्रित और वितरित स्टाम्पों का मूल्य एवं परिकल्पना ।

(ट) वह प्ररुप जिसमें और वह रीति जिससे धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्टाम्पों का लेखा रखा जाएगा ।

(ठ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वकालतनामा पर चिपकाए गए स्टाम्पों का मूल्य ।

(ड) धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन स्टाम्पों की रद्द करने की रीति ।

(ढ़) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

32. नियमों और अधिसूचनाओं का राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना –

(1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 30 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के प्श्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष, रखा जाएगा ।

33. व्यावृत्ति

बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (1983 का 16) तथा उसमें किया गया संषोधन,

झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद और इस अधिनियम के प्रवृत होने के ठीक पहले, बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (1983 का 16) तथा उसमें किया गया संषोधन, के प्रावधानों के अनुपालन में, सद्भावपूर्वक, किया गया सभी कार्य, इस तथ्य के कारण अमान्य नही होगा कि यह अधिनियम तत्समय प्रवृत नहीं था ।

अनुसूची – 1

(धारा 9, 10 एवं 17(1) देखें)

व्कालय/विधि व्यवसाय के पूरे वर्ष	मृत्यु की स्थिति में लाभ (रुपयों में)	स्वैच्छिक निवृति पर लाभ (रुपयों में)
1	2	3
1 वर्ष	2,60,000/–	–
2 वर्ष	2,60,000/–	–
3 वर्ष	2,60,000/–	–
4 वर्ष	2,60,000/–	–
5 वर्ष	2,60,000/–	–
6 वर्ष	2,65,000/–	11,000/–
7 वर्ष	2,70,000/–	12,000/–
8 वर्ष	2,80,000/–	13,000/–
9 वर्ष	2,90,000/–	14,000/–
10 वर्ष	3,00,000/–	15,000/–
11 वर्ष	3,10,000/–	18,000/–
12 वर्ष	3,20,000/–	21,000/–
13 वर्ष	3,30,000/–	24,000–
14 वर्ष	3,40,000/–	27,000/–
15 वर्ष	3,50,000/–	30,000/–
16 वर्ष	3,60,000/–	35,000/–
17 वर्ष	3,70,000/–	40,000/–
18 वर्ष	3,80,000/–	45,000/–
19 वर्ष	3,90,000/–	50,000/–
20 वर्ष	4,00,000/–	55,000/–
21 वर्ष	4,10,000/–	62,000/–
22 वर्ष	4,20,000/–	69,000/–
23 वर्ष	4,30,000/–	76,000/–
24 वर्ष	4,40,000/–	83,000/–
25 वर्ष	4,50,000/–	90,000/–

26 वर्ष	4,60,000/–	1,00,000/–
27 वर्ष	4,70,000/–	1,10,000/–
28 वर्ष	4,80,000/–	1,20,000/–
29 वर्ष	4,90,000/–	1,30,000/–
30 वर्ष	5,00,000/–	2,00,000/–
31 वर्ष	5,10,000/–	2,10,000/–
32 वर्ष	5,20,000/–	2,20,000/–
33 वर्ष	5,30,000/–	2,30,000/–
34 वर्ष	5,40,000/–	2,40,000/–
35 वर्ष	5,50,000/–	2,50,000/–
36 वर्ष	5,60,000/–	2,60,000/–
37 वर्ष	5,70,000/–	2,70,000/–
38 वर्ष	5,80,000/–	2,80,000/–
39 वर्ष	5,90,000/–	2,90,000/–
40 वर्ष	6,00,000/–	3,00,000/–
41 वर्ष	6,10,000/–	3,15,000/–
42 वर्ष	6,20,000/–	3,30,000/–
43 वर्ष	6,30,000/–	3,45,000/–
44 वर्ष	6,40,000/–	3,60,000/–
45 वर्ष	6,50,000/–	3,75,000/–
46 वर्ष	6,60,000/–	3,90,000/–
47 वर्ष	6,70,000/–	4,05,000/–
48 वर्ष	6,80,000/–	4,20,000/–
49 वर्ष	6,90,000/–	4,35,000/–
50 वर्ष	7,00,000/–	4,50,000/–

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

वितीय प्रभाव/निहितार्थ का विवरण – इस अधिनियम के बनने से राज्य के खजाने पर कोई वितीय बोझ नहीं पड़ेगा सिवाय इसके प्रकाशन की लागत का ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता,

यह विधेयक झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012 दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 94——50——14–12–2012 ।